तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री पंकज नरूका, सदस्य** ——— उपस्थित :– अभिभाषक प्रार्थी श्री ओ.एल.दवे अभिभाषक अप्रार्थी श्री एस.पी.सिंह चौधरी **आदेश** यह निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 83 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–9–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी खसरा नबंर 1535 मिन रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन अंगोर पर बाडा बनाकर अप्रार्थी सं.1 द्वारा कब्जा करने की स्थिति में पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार जायल ने प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाहीं करते हुये बेदखली एवं शास्ती के साथ आराजी पर काम में लिये पत्थरों की निलामी के आदेश पारित किये। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने प्रथम अपील जिला कलेक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी ने द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत की। दौराने अपील प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी मांगीलाल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् पक्षकार बनने प्रस्तुत किया जो स्वीकार होने पर उन्हें पक्षकार बनया गया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी राजस्व मंडल द्वारा खारिज कर दी गई। पत्रावली पुनः प्राप्त होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने दिनांक 25–9–03 द्वारा स्वीकार कर विवादित आराजी को अप्रार्थी के हक में नियमन करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व कानून	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	के विरूद्ध हैं। विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन अगौर है जिसका आवंटन/नियमन कानून के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 अनुसार वर्जित है तथा ऐसी आराजी पर किसी पक्षकार के अधिकार उत्पन्न नहीं होते। अतिक्रमण एवं नियमन की प्रक्रिया अलग अलग हैं। प्रकरण अतिक्रमण से सबंधित था जिसे अपीलीय न्यायालय ने परिवर्तन कर कानून से परे नियमन करने के आदेश पारित कर दिये। नियमन की कार्यवाही उपखंड अधिकारी के स्तर पर की जाती है। विवादित आराजी रास्ते की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण व अन्य ग्रामवासी आते जाते रहते है। पूर्व में भी अप्रार्थी द्वारा रास्ता बंद करने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही कर रास्ता खुलवाया गया था। रास्ते की भूमि को नियमन नहीं किया जा सकता। राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने क्षेत्राधिकार से परे नियमन आदेश पारित किया है। अतः निगरानी प्रार्थी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे एवं तहसील व जिला कलेक्टर का निर्णय बहाल रखा जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि विवादित आराजी पर उसका पुराना कब्जा है। पुराने कब्जे के आधार पर ही अपीलीय न्यायालय ने उसके पक्ष में नियमन करने के आदेश दिये हैं। उसके आस पास भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में नियमन हो चुका है। द्वेशपूर्ण उसके विरूद्ध अतिक्रमी की कार्यवाही की गई है। विवादित आराजी मात्र 10 बिस्वा है। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग में ऐसी भूमियों को नियमन करने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का आधोपांत अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	हस्तगत् प्रकरण में तहसीलदार जायल द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये अतिक्रमी के विरूद्ध नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् उसके उपस्थित आने के पश्चात् आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं हुये और जिस पर दिनांक 19–5–2000 को आदेश पारित करते हुये विपक्षी को भौतिक रूपसे बेदखल किये जाने व जुर्माना राशि जमा कराये जाने के आदेश पारित किये गये। विपक्षी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपर जिला कलेक्टर नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उभय पक्षों को सुनकर अपील निर्णय में उनके द्वारा अंकित किया गया कि अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भू भाग पर उसका कब्जा 1962 से है किंतु उसकी ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और जवाब, साक्ष्य सबूत का अवसर उसे नहीं दिया गया हो यह भी मानने योग्य नहीं है। उसकी ओर से दिनांक 28–4–2000 को उपस्थिति दे दी गई थी उसके पश्चात् वह स्वेच्छा से अनुपस्थित हो गया। इस प्रकार यह पाते हुये कि धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन नियम 1992 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार अंगोर भूमि को आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित रखा गया है और अपील को सारहीन होने व बलहीन होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। इस पर द्वितीय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उनके द्वारा यह अंकित करते हुये कि तहसीलदार द्वारा पत्थरों की कुर्की का आदेश गलत रूपसे किया गया है। धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाहीं के अंतिम निर्णय के पश्चात् ही कुर्की की आदेश हो सकता है। विवादित भूमि अंगोर के काम में नही आती है। अपीलार्थी का काफी वर्षों से कब्जा है। अन्य के कब्जों को नियमन किया जा चुका है और इसी आधार पर द्वितीय अपील को स्वीकार करते हुये विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दोनों अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर दिया गया तथा तहसीलदार जायल को विवादित भूमि का नियमन अपीलांट के पक्ष में राशि लेकर किये जाने का निर्देश कर दिया। निगरानी याचिका के विरूद्ध मूल आपत्ति विपक्षी की ओर से की गई है कि सरकार द्वारा कोई निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है। निगरानीकर्ता को निगरानी पेश करने का अधिकार नहीं है। मंडल की इस एकलपीठ का विनम्र मत है कि मंडल को निगरानी का विस्तृत क्षेत्राधिकार प्राप्त है। किसी भी पक्षकार की ओर से निगरानी आवेदन नहीं किये जाने पर भी यदि मंडल के संज्ञान में अधीनस्थ न्यायालय का ऐसा कोई निर्णय या आदेश लाया जाता है जोकि क्षेत्राधिकार से परे जाकर किया गया हो अथवा विधि के विरूद्ध हो तो मंडल द्वारा स्वंय भी निगरानी के सबंध में अभिलेख का अवलोकन कर यदि कोई पक्षकार उपस्थित होता है तो उन्हें सुनवाई का अवसर देकर न्यायोचित आदेश पारित किया जा सकता है। ऐसे में यह महत्वहीन हो जाता है कि निगरानी राज्य सरकार की ओर से की गई है अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में निगराकार पक्षकार रहा है। ऐसी स्थिति में विपक्षी का यह तर्क मानने योग्य नहीं है। अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा आदेश में अंकित किया गया है कि उसी भूमि पर अन्य व्यक्तियों के कब्जे को नियमन कर दिया गया है, किंतु पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। ऐसे में बिना किसी साक्ष्य के इस आधार पर पारित किये गये निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार आलोच्य निर्णय के द्वारा अतिक्रमी के पुराने कब्जे को मान लिया गया है किंतु उस सबंध में भी कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। केवल फोटो प्रति दस्तावेज के आधार पर न्यायालय को अपना निर्णय आधारित नहीं करना चाहिये। इस प्रकार आलोच्य निर्णय बिना साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है। विधि स्पष्ट है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अगोर की भूमि को आंवटन/नियमन योग्य नहीं माना गया है। बावजूद इसके आलोच्य निर्णय द्वारा भूमि का नियमन किये जाने का आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। जबकि नियमन एवं आवंटन हेतु नियमों के अनुसार पृथक से व्यवस्था है। हस्तगत् प्रकरण में द्वितीय अपील न्यायालय को केवल मात्र धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाहीं के सबंध में पारित बेदखली आदि का आदेश एवं अपील के निर्णय की वैद्यता को परखना था किंतु क्षेत्राधिकार से परे जाकर नियमन का आदेश पारित किया गया जो सही ठहराये जाने योग्य नहीं है एवं निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर का आदेश दिनांक 25–9–03 अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–5–2000 एवं न्यायालय अपर जिला कलेक्टर नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–10–01 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे। उभय पक्ष को सूचना जरिये कम्प्यूटर दी जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । (पंकज नरूका) सदस्य	

निगरानी / एलआर/5261/ 2003/ नागौर
सुखाराम वगैरह बनाम भगवानाराम व अन्य